शक्ति प्राप्त है। उस देश ... है।

प्रश्न ~~103~~: उच्चतम न्यायालय के सलाहकर्त्ता या परामर्शवादी क्षेत्राधिकार की विवेचना कीजिए।

Discuss the Advisory Jurisdiction of the Supreme Court.

LL.B II Sem Constitution of India

उत्तर:

Dr. Nishat Jhan 4/5/20

उच्चतम न्यायालय का सलाहकर्त्ता क्षेत्राधिकार (Advisory Jurisdiction of the Supreme Court)

अनु० 143 के अन्तर्गत उच्चतम न्यायालय की प्रदत्त सलाहकारी क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत राष्ट्रपति ऐसे किसी मामले की उच्चतम न्यायालय को उसके विचार के लिये, एक प्रश्न के रूप में, भेज सकता है, जिसमें उसे किसी समय प्रतीत होता हो कि, विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हो गया है या उसके उत्पन्न होने की सम्भावना है, जो इस प्रकृति का है और इतने सार्वजनिक महत्व का है कि उस, उच्चतम न्यायालय की राय लेना हितकर (expedient) है, तब न्यायालय ऐसी सुनवाई के पश्चात् जैसा कि उचित समझे, उस पर अपनी राय राष्ट्रपति को देगा (अनु० 143 (1))।

अनु० 143 (2) के अन्तर्गत, राष्ट्रपति ऐसे भी किसी विवाद को उच्चतम न्यायालय को राय के लिये सौंप सकता है, जिस तक उच्चतम न्यायालय का प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार, अनु० 131 के परन्तुक–क के कारण, विस्तारित नहीं है और न्यायालय उसकी सुनवाई करने के बाद उस पर अपनी राय राष्ट्रपति को देगा।

उपर्युक्त सलाहकारी क्षेत्राधिकारी कनाडा के संविधान से अपनाया गया है, अमेरिका और आस्ट्रेलिया के संविधानों में ऐसा कोई प्रावधान उपबन्धित नहीं किया गया है।

इन री स्पेशल कोर्ट बिल 1978 AIR, 1979 S.C. 478 में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि वह अनु० 143 के अन्तर्गत राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए बाध्य है, और ऐसी सलाह सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है किन्तु न्यायालय की सलाह के लिए निर्दिष्ट प्रश्न (Specific question) ही न्यायालय में भेजे जाने चाहिए। यदि ऐसे प्रश्न अस्पष्ट या सामान्य प्रकृति हैं तो उच्चतम न्यायालय अपनी सलाह देने के लिए बाध्य नहीं होगा।

परन्तु **इस्माइल बनाम भारत संघ** जो कि अयोध्या का मामला AIR 1994 S.C. 605 के नाम से जाना जाता है, के मामले में उच्चतम न्यायालय ने सर्वसम्मति से पॉच सदस्यों की पीठ द्वारा अयोध्या मामले पर राष्ट्रपति को अपनी सलाह देने से इन्कार कर दिया। न्यायालय ने कहा कि अनु० 143 के अधीन राष्ट्रपति को राजनैतिक प्रश्नों पर उच्चतम सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है।

प्रश्न 104 : "उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारतीय राज्यक्षेत्र के अन्दर सब न्यायालयों पर बन्धनकारी होगी।" (अनु० 141)।

अनु० 141 के उपर्युक्त उपबन्धों के सन्दर्भ में बताइये कि क्या उच्चतम न्यायालय भी पूर्वादाहरणों के रूप में अपने निर्णयों से बाध्य होता है?

"The law declared by the Supreme Court shall be binding on all Courts within the territory of India." (Art. 141)

State, with reference to the above provisions of Art. 141, whether the Supreme Court, too, is bound by its decisions as precedents?

उत्तर:

उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारतीय राज्यक्षेत्र के अन्दर सब न्यायालयों पर बन्धनकारी होगी

उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि वह है, जो किसी मामले के निर्णय में उच्चतम न्यायालय द्वारा, विधि के सिद्धान्तों के रूप मे, प्रतिपादित की जाती है। यह विधि पूर्वोदाहरण व वजीर (Precedent) के रूप में समस्त अधीनस्थ न्यायालयों पर बन्धनकारी होती है। किन्तु स्वयं उच्चतम न्यायालय उससे बाध्य नहीं होता है, बल्कि समय–समय पर उचित मामलों में वह उसमें परिवर्तन करता रहता है।

'**बंगाल इम्यूनिटी कं० बनाम बिहार राज्य** 'AIR 1955 S.C. 661 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि संविधान में ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है, जो उसको अपने पूर्व–निर्णय पर फिर से विचार करने से मना करता हो। यदि न्यायालय को यह निश्चय हो जाय कि उसका पूर्व–निर्णय दोषपूर्ण है, और उसे उलटना सार्वजनिक हित में आवश्यक है, तो वह अपने पूर्व–निर्णयों को उलट सकता है। इस प्रकार इस मामलें में उच्चतम न्यायालय ने '**यूनाइटेड मोटर्स बनाम बम्बई राज्य**' AIR 1953 S.C. 252 के मामले में दिये गये अपने निर्णय को उलट दिया था और 'निर्णीतानुसरण' (Stare decisis) के सिद्धान्त को लागू करने से इंकार कर दिया था।

इसी प्रकार '**गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य**' AIR 1967 S.C. 1043 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अपने दो महत्वपूर्ण निर्णयों– (1) ' **शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ**, AIR 1951, S.C. 458 और (2) '**सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य**' AIR 1965, S.C. 845 को और '**केशवानन्द भारती बनाम केरल राज्य** AIR 1973, S.C. 1461 के मामले में 'गोलक नाथ' के निर्णय को उलट दिया था।

उपर्युक्त न्यायिक दृष्टान्तों से यह स्पष्ट हो जाता है कि पूर्वोदाहरण (Precedent) या 'निर्णीतानुसरण' (Stare decisis) के सिद्धान्तों का अनुसरण भारत में विधि के विकास की दृष्टि से लचीलेपन के साथ उच्चतम न्यायालय द्वारा उसी प्रकार से किया जाता है, जिस प्रकार से अब इंग्लैण्ड में हाउस ऑफ लार्ड्स द्वारा किया जाता है।

क्या उच्चतम न्यायालय की 'इतरोक्ति' भी विधि की तरह अधीनस्थ न्यायालयों पर बन्धनकारी है? इस सम्बन्ध में बम्बई और इलाहाबाद के उच्च न्यायालयों की राय में ये इतरोक्तियाँ भी अनु० 141 के अन्तर्गत विधि हैं और बाध्यकारी प्रभाव रखती हैं। स्वयं उच्चतम न्यायालय ने '**अमृतसर म्युनिसिपैल्टी बनाम हजारा सिंह**' के वाद में यह राय जाहिर किया है कि उसके द्वारा व्यक्त किये गये सामान्य विचार भी अधीनस्थ न्यायालयों पर बन्धनकारी हैं।